

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

69

// अधिसूचना //

—00—

रायपुर, दिनांक: 30/01/2012

क्रमांक एफ 10-1/2012/16:- छ0ग0 औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 96 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए छ0ग0 औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 63 (बी) में उल्लेखित अनुसूची 2-ए के क्रमांक 20 पर निम्नांकित अधिनियम राज्य शासन एतद्वारा अन्तः स्थापित करती है -

20. छ0ग0 श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.जी. कुजाम)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग,
रायपुर, दिनांक: 30/01/2012

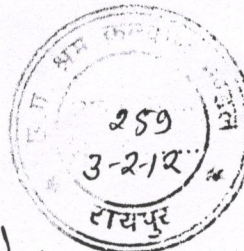
पृ0क्रमांक एफ 10-1/2012/16,
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ0ग0),
2. स्टाफ आफीसर, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ0ग0),
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर(छ0ग0),
4. सहायक श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त कार्यालय,(छ0ग0),
5. उप संचालक, / सहायक संचालक / औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर(छ0ग0),
6. श्रम पदाधिकारी, श्रम पदाधिकारी कार्यालय,(छ0ग0),
7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय (छ0ग0),
8. अध्यक्ष, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, रायपुर(छ0ग0),
9. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, रायपुर(छ0ग0),
10. अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर(छ0ग0),
11. सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ0ग0),
12. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ0ग0), की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित। कृपया राजपत्र की 100 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग,



Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page, including '62/1/12/12/12', '62/1/12/12/12', and '62/1/12/12/12'.